

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB. SEC. (1)

Appearing on Page No. 17-10

Dated : 24-10-92

जल संसाधन विभाग

MINISTRY OF WATER RESOURCES

(ई.आर. विंग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1992

सा.का.वि. 476.—केन्द्रीय सरकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधि-
नियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 28 की उपधारा
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्रह्मपुत्र
बोर्ड नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्न-
लिखित नियम बनाये हैं: अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ब्रह्मपुत्र बोर्ड
(द्वितीय संशोधन) नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त
होंगे।

2. ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियम, 1981 में, नियम 7 के उ-
पनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा
जाएगा, अर्थात्:—

“(1) बोर्ड की निम्नी बैठक की गणपूर्ति ऐसे आठ
सदस्यों से मिलकर होगी जिनमें कम से कम
एक प्रतिनिधि जल संसाधन मंत्रालय का और
दो प्रतिनिधि किन्हीं सदस्य-राज्यों में से होंगे।”

[सं. 23/17/91-जे.आर.सी/ई.आर./1639]
हरभगवान कीटवानी, अवर सचिव

सादर टिप्पणी: मूल नियम, सा.सं. नियम सं. 677 (एवा)
तारीख 28-12-1981 में प्रकाशित किए गए

में और तदुपरोक्त शब्दों समान-समय पर सं-
शोधित में किया गया है। उक्त नियमों में
अन्तिम बार सा.सं. नियम सं. 143, तारीख
6-3-1992 द्वारा संशोधित किया गया है।

(E.R. Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 1992

G.S.R. 476.—In exercise of the powers conferred by sub-
section (1) of section 28 of the Brahmaputra Board Act, 1980
(46 of 1980), the Central Government hereby makes the
following amendment further to amend the Brahmaputra
Board Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Brahmaputra Board
(Second Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their
publication in the Official Gazette.

2. In the Brahmaputra Board Rules, 1981, for sub-rule
(1) of rule 7, the following sub-rule shall be substituted
namely:—

“(1) Eight members, having at least one representative
from the Ministry of Water Resources and two
representatives from any of the member States, shall
form a quorum at a meeting of the Board.”

[No. 23/17/91-JRC/ER/1639]

HARBHAGWAN KIETWANI, Under Secy.

Foot note : The principal rules were published, vide
GSR No. 677(E), dated 28-12-1981, and subsequently
amended from time to time—the last time these rules
were amended, vide GSR No. 143, dated 6-3-1992.